न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

निगरानी/टीए/4061/2005/गंगानगर

1– राजेन्द्र कौर पत्नि जगजीतसिंह
2– रूपल पुत्री जगजीतसिंह
जाति खत्री निवासी प्लाट नं0 1/49 ए एयरलेबर ब्यूरो सोसायटी, नजदीक राजध्धानी अपार्टमेंट चण्डीगढ़।
3– पुनित पुत्री जगजीतसिंह
4– हरकरणसिंह पुत्र जगजीतसिंह
नाबालिग जरिये कुदरती संरक्षक माता राजेन्द्र कौर पत्नि जगजीतसिंह जाति खत्री निवासी प्लाट नं0 1/49 ए एयरलेबर ब्यूरो सोसायटी, नजदीक राजधानी अपार्टमेंट चण्डीगढ़।

....प्रार्थीगण

बनाम

1– अशोक गोदारा पुत्र स्व0 प्रकाशचंद उर्फ ओमप्रकाश जाति जाट निवासी चक 1 एच मदेरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

2– श्रीमति सावित्रीदेवी पत्नि स्व0 प्रकाशचंद उर्फ ओमप्रकाश जाति जाट निवासी चक 1 एच मदेरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

....अप्रार्थीगण

एकलपीठ
श्री शिखर अग्रवाल, सदस्य

उपस्थितः–
श्री प्रशान्त सोनी, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
श्री अमृतपाल सिंह, अधिवक्ता अप्रार्थीगण।

––

निर्णय

दिनांकः 24–06–19

यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 230 के अन्तर्गत राजस्व

अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपील सं0 119/2004 उनवानी राजेन्द्र कौर आदि बनाम अशोक गोदारा आदि में पारित किए गए निर्णय दिनांक 09–08–2005 के विरूद्ध मण्डल में प्रस्तुत की गई है।

2– संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी सं0 1 के पिता व अप्रार्थी सं0 2 के पति ने उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायालय में एक दावा अधिनियम की धारा 88 व 188 का दावा पेश किया व दावे के साथ अधिनियम की धारा 212 का प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसे विचारण न्यायालय ने दर्ज रजिस्टर कर प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया। अप्रार्थीगण ने जवाब पेश किया व काउन्टर प्रा0 पत्र बाबत् रिसीवर नियुक्त किए जाने पेश किया। बाद सुनवाई अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 04–10–2004 द्वारा अप्रार्थीगण/वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र को स्वीकार कर अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रार्थीगण इस आशय की जारी कि वे दावाधीन भूमि चक 1 एच बड़ा खाता सं0 34130 के मु0नं0 27,36,39,49 में कुल रकबा 12.887 है0 में से अप्रार्थीगण/वादीगण के नाम की 3–162 है0 भूमि को मूल दावा के निर्णय तक रहन,बय नहीं करें तथा रेकार्ड की स्थिति यथावत बनाए रखें। उक्त निर्णय से अप्रसन्न होकर अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायालय में पेश की गई, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 09–08–2005 द्वारा खारिज कर दिया। उक्त निर्णय से अप्रसन्न होकर यह निगरानी मण्डल में प्रस्तुत की गई है।

3– हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4– योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण ने निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने अपने निर्णय विधिक प्रकिया की अवहेलना करते हुए, अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत व न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किए बिना पारित किए है। उनका यह भी तर्क था कि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण बतौर खातेदार अंकित है, ऐसी स्थिति में अधिनियम की धारा 212 के तीनों मूल तत्व उनके पक्ष में है, इसके बावजूद भी दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने महत्वूपर्ण बिन्दू को नजरअंदाज करते हुए अपने निर्णय प्रदान किए। उनका तर्क था कि भूमि के खातेदार को

उसके हक व अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। विधि का भी यह सुस्थापित सिद्धांत है कि रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। उनका तर्क था कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय का मुख्य आधार कब्जा काश्त रहा है जबकि अप्रार्थी सं0 1 व 2 का कब्जा पूर्णतया अनिाधिकृत है। प्रार्थी सं0 1 विधवा व प्रार्थी सं0 2 से 4 नाबालिग है, अधिनियम की धारा 5 (24)के अनुसार विधवा व नाबालिग की भूमि की काश्त किसी के द्वारा भी की जावें, काश्त उन्हीं की मानी जाएगी। उनका तर्क था कि राजस्व रिकार्ड के अनुसार विवादित भूमि प्रार्थीगण की है, जिस पर अप्रार्थीगण दावे के माध्यम से प्रतिकूल कब्जा के आधार पर अपना टाईटल बताते है। जब टाईटल का विवाद हो तो रिसीवर नियुक्ति का मुख्य आधार है, ऐसी स्थिति में विधवा व नाबालिग के हितों की सुरक्षा प्रदान किया जाना आवश्यक है। अन्त में उन्होंने निवेदन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने क्षैत्राधिकार का दुरूपयोग करते हुए अपने निर्णय प्रदान किए है, जिन्हें निगरानी स्वीकार कर न्यायहित में निरस्त किया जावें।

5– योग्य अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने तर्क दिया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने विधिक एवं तथ्यात्मक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में क्षैत्राधिकार के अन्तर्गत अपने निर्णय प्रदान किए है एवं दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती है, जिनमें निगरानी के स्तर पर हस्तक्षेप किए जाने का कोई औचित्य नहीं है। निगरानी का क्षैत्र सीमित है, अतः निगरानी खारिज की जावें।

6– हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख व आक्षेपित निर्णयों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

7– प्रश्नगत प्रकरण में वादी द्वारा वाद इस आधार पर लाया गया है कि वह विवादित भूमि पर काबिज है और भूमि पर प्रतिवादीगण के नाम पर गलत रूप से अंकित की गई है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने वादी द्वारा विवादित भूमि पर कब्जा होने के प्रश्न को वादी के पक्ष में मानते हुए निर्णय पारित किए है। हमारे समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य अथवा तथ्य स्पष्ट नहीं किया गया है, जिससे विवादित भूमि पर वर्तमान प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का कब्जा सिद्ध हो सके। निगरानी का क्षैत्र सीमित है और इसके

माध्यम से अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों में तभी हस्तक्षेप किया जा सकता है जब वे क्षैत्राधिकार संबंधी त्रुटि से ग्रसित हो। हमारी राय में वर्तमान प्रकरण में दोनो अधीनस्थ न्यायालयों ने तथ्यों एवं विधिक परिप्रेक्ष्य में क्षैत्राधिकार का प्रयोग करते हुए जो निर्णय पारित किए है, उनमें निगरानी के माध्यम से हस्तक्षेप किए जाने का कोई आधार एवं औचित्य नहीं है।

8– उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप यह निगरानी खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिखर अग्रवाल)
सदस्य